अध्याय VI

वस्तुओं का गलत वर्गीकरण

अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान (मार्च 2014 से मार्च 2016), हमने 28 मामले देखे जिनमें निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया था जिसके कारण ₹ 10.01 करोड़ के सीमा शुल्को का कम उदग्रहण /उदग्रहण नहीं हुआ। इनमें से 10 मामलो की चर्चा आगामी पैराग्राफो में की गई है तथा 18 मामलो जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वसूली की गई है/वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है, को **अनुलग्नक 10** में वर्णित किया गया है।

6.1 हाइड्रोलाइज्ड वनस्पति प्रोटीनयुक्त सोया का पृथक सोया प्रोटीन के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया

सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 21061000 के तहत "हाइड्रोलाइज्ड वनस्पति प्रोटीन युक्त-सोया" वर्गीकरणीय हैं।

मै. केडबरी इंडिया लिमिटेड ने जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से "हाइड्रेलाइज्ड वनस्पति प्रोटीन युक्त सोया" के 19 प्रेषणो का आयात किया (जुलाई 2012 से मार्च 2014)। माल को "पृथक सोया प्रोटीन" के रूप में सीटीएच 35040091 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा इसे लागू बीसीडी को 30 प्रतिशत तथा सीबीडी को 10 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) तथा 6 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) का उदग्रहण करते हुए मंजूर किया गया। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.80 करोड़ तक शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (मार्च 2014/मार्च 2016), विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि 15 प्रेषणो के लिए आयातको को कम प्रभार सह मांग कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है (जनवरी 2015) तथा यह अधिनिर्णय की प्रक्रिया के तहत है। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.2 वनस्पति तेल (रिफाइंड तथा खाद्य ग्रेड के अलावा अन्य) का खाद्य ग्रेड तथा रिफाइंड के रूप में गलत वर्गीकरण

अधिसूचना संख्या 12/2012-सीशु. (क्रम संख्या 58) के अनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 1509/1515 के तहत वर्गीकरणीय 'वनस्पति तेल' (रिफाइंड तथा खाद्य ग्रेड के अलावा अन्य) का आयात बीसीडी की रियाती दर का पात्र नहीं है तथा इस पर 6 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क उदग्राहय है।

मै. पीओमा केमिकल्स ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से जर्मनी से "औद्योगिक उपयोग हेतु विभिन्न वनस्पति तेलो" के चार प्रेषणों का आयात किया था (सितम्बर 2015)। आयातित माल को खाद्य ग्रेड तथा रिफाइंड वनस्पति तेल के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया तथा पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत रियायती दर पर बीसीडी तथा 'शून्य' दर पर सीवीडी के उदग्रहण को मंजूरी दी। खाद्य ग्रेड के तहत आयातित माल के गलत वर्गीकरण तथा छूट का गलत लाभ लेने के परिणामस्वरूप ₹ 85.73 लाख की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (नवम्बर 2015), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 34.77 लाख के लिए एक प्रेषण के संदर्भ में कारण बताओं नोटिस जारी किया (मार्च 2016)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.3 फूलों हेतु मुख्य रूप से लगाये गये पौधों के बीज का "अन्य बीजो" के रूप में गलत वर्गीकरण

सीमाशुल्क टैरिफ के अनुसार, मुख्य रूप से उनके फूलों के लिये लगाये गये पौधों के बीज पर 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगती है और सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 12093000 के अंतर्गत वर्गीकरण है।

मैसर्स राशि सीड्स प्रा. लिमिटेड और अन्य ने नये कस्टम हाउस, दिल्ली के माध्यम से "बीजारोपण हेतु विभिन्न पौधों के फूल के बीज" आयातित किये। आयातित आइटम सीटीएच 12099990 (अन्य बीज) के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे और 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी के लिये निर्धारित किये

गये थे (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या12/2012-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 41)।

चूँकि आयातित मद बीजारोपण हेतु पौधों के बीज हैं, जो फूलों के उद्देश्य हेतु मुख्य रूप से लगाये जाते है, वे सीटीएच 12093000 के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत करने योग्य है तथा 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी के लिये निर्धारणीय हैं (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 40)। इस प्रकार आयातित मद के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 72.11 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर 2015), विभाग ने कहा (मई 2016) कि आयातक से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार गेंदे के बीज को भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार फूल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और पौंधे के बीज के रूप में नहीं {(आरटीआई स्पष्टीकरण के उत्तर में जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, समन्वय और किसान कल्याण कृषि भवन, नई दिल्ली) द्वारा जारी किया गया था)} इस प्रकार गेंदे के फूल का बीज सीटीएच 12099990 के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकरण योग्य है। तथापि, विभाग ने सुरक्षा मांग सहित कारण बताओं नोटिस जारी किया (दिसम्बर 2015)।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक जेनेटिक पहचान और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये इस प्रकार उगाये गये और वितरित की गई अधिसूचित प्रकार और किस्म की सामग्री उगाने और उच्च गुणवत्ता बीज को प्रमाणीकरण के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने और रखरखाव करने के लिये बनाये गये हैं और सीमाशुल्क वर्गीकरण के लिये नहीं।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने सीटीएच 12093000 के अंतर्गत की बजाय 'अन्य बीजों' के रूप में शेष सीटीएच 12099990 के अंतर्गत गेंदे के बीच के आयात को वर्गीकृत किया, जो मुख्य रूप से उनके फूल के लिये लगाये गये पौंधों के बीज के लिये हैं। आयात टैरिफ स्पष्टीकरण हेतु सामान्य नियमावली के नियम 3(ए) के अनुसार-शीर्ष जो सबसे विशिष्ट विवरण उपलब्ध कराता है उसे अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्ष से अधिक वरीयता देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, कोलकाता एयर कार्गो/चेन्नै एयरकार्गो/दिल्ली एयर कार्गो के माध्यम से ''बीजारोपण हेतु गेंदे के फूल के बीज'' समान आयात को विभाग द्वारा सीटीएच 12093000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

6.4 'अन्य वनस्पति अर्क एवं तत्व' के रूप में गलत वर्गीकृत खाद्य आहार पूरक

"डीएचए पाउडर'' अन्य खाद्य सामग्री कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं के रूप में सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 21069099 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 30 प्रतिशत की दर पर सीमाशुल्क का मूल शुल्क वसूली योग्य है (दिनांक 01 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, क्रम संख्या 47)।

मैसर्स वास्ता बॉयोटेक प्रा. लिमिटेड ने (अप्रैल एवं नवम्बर 2011) एयर कस्टम चेन्नै के माध्यम से ''डीएचए पाउडर'' के 15 प्रेषण आयात किये। माल '' अन्य वनस्पति अर्क और तत्व'' के रूप में सीटीएच 13021990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 30 प्रतिशत की दर पर लागू बीसीडी की बजाय 15 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क निर्धारित किया गया था (अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, क्रम संख्या 28)। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 64.76 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (मार्च 2012), विभाग ने कहा (अगस्त 2016) कि मामला प्रधान आयुक्त के अधिनिर्णय की प्रक्रिया के अंतर्गत है और परिणाम निर्णय के बाद सूचित किया जायेगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.5 कॉपर बार/रॉड के रूप में गलत वर्गीकृत कॉपर वायर

अध्याय 74 के नोट 1 (डी) और (एफ) के अनुसार, बार और रॉड, रोल्ड एक्सट्रूडेड, ड्रॉन या फॉर्ज्ड उत्पाद के रूप में परिभाषित किये जाते है, कॉयल में नहीं। यद्यपि तार को रोल्ड एक्सट्रूडेड, कॉयल में ड्रॉन उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार वायर रॉड का मतलब है कोल्ड रूप से आपूर्ति किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु सहायक उत्पाद के रूप में प्रयोग किये गये 6 एमएम तक समान क्रॉस-सेक्शन

आयात के रॉड उत्पाद। कॉपर तार जिसका क्रास-सेक्शन आयाम 6 एमएम से अधिक है उस पर 5 प्रतिशत की दर से मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) लगेगा और सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 74081190 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।

मैसर्स अशोक कम्पनी ने आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली के माध्यम से ''कॉपर वायर रॉड'' आयात की (अगस्त से दिसम्बर 2015)। आयातित माल ''अन्य'' बार, रॉड और कॉपर अलॉइ की प्रोफाइल'' के रूप में सीटीएच 74072990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और क्रम संख्या 979 अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्राप्त था। यद्यपि आयातित माल कॉयल में कॉपर वायर रॉड था जो कॉपर वायर के रूप में सीटीएच 74081190 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी वसूली योग्य है। गलत वर्गीकरण और अधिसूचना लाभ के अनुवर्ती गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 55.70 लाख की शुल्क राशि की कम वसूली हुई।

यह विभाग को जनवरी 2016 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.6 अंगूर के अलावा किशमिश के रूप में गलत वर्गीकृत सूखे अंगूर

सूखे अंगूर-किशमिश सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 08062010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 28) के अनुसार 100 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क और अन्य लागू उपकर और शुल्क लगेगा।

मैसर्स कानेग्रेड फ्लेवर्स एंड इंग्रीडिअन्टस प्रा. लिमिटेड ने जेएनसीएच, नहावा शेवा मुंबई के माध्यम से 'छोटी किशमिश' की दो प्रेषण आयात किये। आयातित माल को शीर्ष 0801 से 0806 के अलावा अन्य ड्राइ फ्रूट के रूप में सीएचटी 08134090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 30 प्रतिशत की दर पर बीसीडी वसूल किया गया था और एसएडी से छूट प्राप्त था (दिनांक 17 मार्च 2012 अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क, क्रम संख्या 20)।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि आयातित माल ग्रीस में उत्पादित ''छोटी किशमिश'' के रूप में संदर्भित छोटे सूखे हुए काले अंगूर थे और तदनुसार सीटीएच 08062010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य थे और 100 प्रतिशत की दर

पर बीसीडी वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त, यह माल ताजे फलों की बजाय ड्राई फ्रूट होने के कारण एसएडी छूट हेतु पात्र नहीं था। इस प्रकार, अनुचित वर्गीकरण और गलत एसएडी छूट के परिणामस्वरूप ₹ 29.72 लाख की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (फरवरी 2016) विभाग ने अवलोकनों को स्वीकृत न करते हुये कहा (मार्च 2016) कि 'छोटी किशमिश' काली किशमिश को सूखाकर बनती है और अंगूर से नहीं। इसके अतिरिक्त विभाग ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना कहा कि काली किशमिश अपनी चटपटा बेरी हेतु उगाया हुआ जंगली पेड़ है और आयातित मद सही रूप से सीटीएच 08134090 के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे। तथापि, आयातक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'किशमिश' अंगूर को सुखाकर बनाई किशमिश को संदर्भित करता है और शब्द 'बौना' का 'किशमिश' के छोटे आकार को बताने के लिये प्रयोग किया गया है और इसलिये आयातित मद सीटीएच 08062010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। राजस्व विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.7 जानवर और वनस्पति उत्पादक के रूप में गलत वर्गीकृत पौधा वृद्धि नियामक

संगत नामावली प्रणाली (एचसीएन) के अध्याय शीर्ष 3808 के अंतर्गत स्पष्टीकरण नोट के अनुसार, 'पौधावृद्धि नियामक' पौधे की जीवन प्रक्रिया संशोधित करने के लिये लागू होती है ताकि पौधा अधिक या कम बढ़े, फसल बढ़े, गुणवत्ता में सुधार या फसल काटना सुविधाजनक हो आदि और सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष(सीटीएच) 38089340 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची निर्वचन हेतु नियमावली' के नियम 3(ए) के संदर्भ में शीर्ष जो सबसे विशिष्ट विवरण उपलब्ध करता है को अधिक सामान्य विवरण प्रस्तुत करने वाले शीर्ष से अधिक वरियता दी जानी चाहिये। पौंधा वृद्धि नियामक के रूप में उपयोग होने वाला सीवीड एक्स्ट्रैक्ट/अमीनों ऐसिड ग्रेन्यूल्स/ह्यूमिक ऐसिड ग्रेन्यूल्स और सिंथेटिक जैविक रसायन 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी),

12/12.5 प्रतिशत पर उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाकर सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।

मैसर्स मार्क इंटरनेशनल और चार अन्य ने सी, सीमाशुल्क चेन्नै से सीवीड एक्स्ट्रैक्ट लिक्विड/ अमीनों ऐसिड ग्रेन्यूल्स/ह्यूमिक ऐसिड ग्रेन्यूल्स के चार प्रेषण आयातित किये (नवम्बर 2014 से सितम्बर 2013)। यह आयातित माल 'जानवर और वनस्पति फर्टीलाइजर्स/अन्य फर्टीलाइजर्स/जैविक रसायन के रूप में सीटीएच 31010099/31059090/29225090/29379090/38249090 के अंतर्गत अनुचित रूप से वर्गीकृत किया गया था और शून्य/1/12 प्रतिशत पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और 5/5.75 प्रतिशत की दर पर बीसीडी निर्धारित किया गया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 28.87 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

नवम्बर 2015 में विभाग को इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.8 बीज की सफाई, छटाई या ग्रेडिंग के लिये मशीन के रूप में गलत वर्गीकृत सुपारी की प्रोसेसिंग हेतु मशीन

सीमाशुल्क टैरिफ के अनुसार मिश्रण मिलाने, पीसने, घिसने, छांटने, हटाने आदि के लिये अध्याय 84 में अन्यथा शामिल नहीं या निर्धारित मशीने सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 84798200 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 12.5 प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगाता है।

मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से अन्य समान सहित क्रम्बलर डीएफजेडएल-1500 (आकार छोटा करने वाला क्रशर) मशीन, प्लानसिफ्टर एमपीएके-228 (हटाने और ग्रेडिंग के लिये) और 'डिसचार्ज एयरलॉक एमपीएसजे-22/22' का प्रेषण आयात किया (जुलाई 2015)। आयातित माल बीज की सफाई, छंटाई और ग्रेडिंग, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों के लिये मशीनों के रूप में सीटीएच 8437.000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और सीवीडी शुल्क से छूट प्राप्त थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मशीने विशेष रूप से सुपारी के पौधे के लिये थी, जो मुख्य रूप से पान मसाला आदि के उत्पादन के लिये सुपारी काटने या प्रोसेसिंग के लिये प्रयोग होती है। इसलिये, आयातित माल 12.5 प्रतिशत की दर पर सीवीडी

लगाकर सीटीएच 84798200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.74 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

जनवरी 2016 में विभाग को इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.9 कृषि/उद्यान-विज्ञान/फसल काटने की मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकृत ब्रश कटर/रीपर

'ब्रश कटर/रीपर' में पोर्टेबल मशीन होने के कारण हल्की धातु के फ्रेम पर लगे आंतरिक ददन इंजन है और काटने के उपकरण है जो नामावली की संगत प्रणाली (एचएसएन) के स्पष्टीकरण नोट के अनुसार सीटीएच 8433 से उनको हटाने को ध्यान में रखते हुये सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 84672900 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। संबंधित माल 12 प्रतिशत (28 फरवरी 2015 तक) और 12.5 प्रतिशत (1 मार्च 2015 से) की दर पर सीवीडी वसूली योग्य है।

मैसर्स विनोद कुमार वीरेन्द्र कुमार ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'विभिन्न प्रकार के ब्रश कटर/रीपर' के छह प्रेषण आयात किये (दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2015)। माल कृषि/उद्यान-विज्ञान/फसल काटने की मशीनरी के रूप में मानकर विभिन्न सीटीएच 8424/8432/8433 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 12.5 प्रतिशत की लागू दर के बजाय सीवीडी से छूट प्राप्त था। आयातित माल घास काटने की मशीन होने के कारण उपर्युक्त एचएसएन स्पष्टीकरण नोट को ध्यान में रखते हुये सीटीएच 8467 के अंतर्गत घास काटने की मशीन के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 18.40 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

मई और नवम्बर 2015 में विभाग का इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.10 चलने की छडी के निर्माण हेतु 'लकडी की डंडियों' के रूप में गलत वर्गीकृत लकड़ी का सामान

'लकडी का सामान' सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 4421 के अंतर्गत वर्गीकृत करने के योग्य है और 12/12.5 प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगती है।

मैसर्स श्री साई ओवरसीज़ ने आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली के माध्यम से 'लकड़ी की डंडियों' (75 एम एम से 114 एम एम) के छह प्रेषण आयात किये (जुलाई 2014 से मार्च 2016)। आयातित माल मोटे तौर पर छांटी गई लेकिन मुडा हुआ नहीं झुका या अन्यथा बनाया हुआ, चलने की छड़ी के निर्माण के लिये उपयुक्त, उपकरण के हैंडल, स्पिलिट पोल आदि 'लकड़ी की डंडियों' के रूप में सीटीएच 44042010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई के अंतर्गत सीवीडी से छूट प्राप्त था। आयातित लकड़ी की डंडियों का बहुत छोटा आकार (75 एमएम से 114 एमएम) होने के कारण चलने की छड़ी के निर्माण हेतु उचित नहीं थी, इसलिये 'लकड़ी की अन्य वस्तुओं' सीटीएच 44219090 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 12/12.25 प्रतिशत की दर पर सीवीडी वसूली योग्य है। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 11.77 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

सितम्बर 2014/दिसम्बर 2015 और मार्च 2016 में विभाग को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।